सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 553 राँची ,सोमवार

5 कार्तिक 1936 (श०)

27 अक्टूबर, 2014 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

25 अक्टूबर, 2014

विषय : झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2010 के नियम-13 में प्रावधानित ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन की अनिवार्यता की शर्त्त का एक बार के लिए शिथिलीकरण।

संख्या-3/स्था0 डी0-01-27/2012-1117 (3)--झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली-2010 के नियम-13 में चिकित्सा सेवा के मूल कोटि के चिकित्सकों को मूल कोटि से षष्ठ्म स्तर के पद तक प्रोन्नति न्यूनतम कालावधि एवं प्रथम से द्वितीय स्तर तथा द्वितीय से तृतीय स्तर के पद में प्रोन्नति हेतु क्रमश: पॉच वर्षो एवं छ: वर्षो के ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापन का प्रावधान है।

वस्तुत: ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने तथा गॉव के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा सहज रूप से पहुँचाने के उदेश्य से किया गया है। यह नियमावली 2011 में अधिसूचित हुई है जबकि राज्य स्वास्थ्य सेवा के 1979 बैच के अधिकारियों को भी नियमित प्रोन्नति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन संबंधी प्रावधान एक समान रूप से लागू है। इस सेवा के कई वरीय पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन की अनिवार्यता न होने के कारण कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित नहीं रहे हैं।

मामले की उक्त पृष्ठभूमि में झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली-2010 के नियम-13 में अंकित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने की अनिवार्यता को 2009 बैच एवं इससे पहले नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए एक बार के लिए शिथिल करने की आवश्यकता के मद्देनजर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया है :-

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान करने के निमित झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली-2010 के नियम-13 में निहित ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन की अनिवार्यता के शर्त्त मात्र एक बार के लिए शिथिल किया जाता है। यह पूर्वोदाहरण नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 के0 त्रिपाठी,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 553–50 ।